



न्यायालय - राजव मण्डल म०प्र० ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण क्रमांक

12016 (वि विध) नॉक/1021-00216
(ग्वालियर)

दिनांक 16-2-16 मी
श्री डी. एन. आण्ड ना कांठो
श्री प्रमोद /
क. 16-2-16
50
Dr. Arthana
16/02/2016


- (1) नरेन्द्र शर्मा पति स्वर्गीय श्री बालकृष्ण शर्मा आयु 48 वर्ष व्यवसाय केंद्रीय कर्मचारी
- (2) लक्ष्मी शर्मा पत्नी श्री नरेन्द्र शर्मा आयु — वर्ष व्यवसाय गृह कार्य निवासी गण 102, ससक्ती नगर, झांसीपुर ग्वालियर म०प्र० एवं जडैराजा कुर्वा, यूनीफेब फेक्ट्री के पास वी। 12 बलराम नगर, ग्वालियर म०प्र० हाल निवासी एल 34 माधव नगर, ग्वालियर म०प्र०
— आवेदकगण

वनाम

- (1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर म०प्र०
- (2) स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा डायन मैनेजर, डायन ग्वालियर म०प्र०
— अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 17 म०प्र० म० 170 से 184 वाक
वाकत नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत को प्रचलित किये जाने एवं
उचित आदेश, निर्देश दिये जाने वाक । आवेदन पत्र विरुद्ध
न्यायालय (हा० संजय गौयल) कलेक्टर जिला ग्वालियर के

प्रकरण क्रमांक 894/2013-14 वी 121 व उक्तान स्टेट बैंक आफ
पटियाला वनाम नरेन्द्र शर्मा आदि में पारित आदेश दिनांक
21/12/2016.



माननीय न्यायालय,
आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(Handwritten signature)

विविध 9021-PB-116 गणित
नरेंद्र / शासन

1.3.2016

अवेदकगण की ओर लं श्री
डी०एम० अछाना अभिभाषक
उपाधित। उर्ध्व युवा गमा।
प्रकण सक्षम - गायक्य मे
प्रस्तुत कर्ते हेतु कापिल किया
जाता है। शासन की ओर लं श्री ल० दे०
श्रीवाहन अभि० उपाधित।
अध्यास

Noted ✓

11/3/2016
अध्यास

अध्यास